



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग से दुष्कर्म व एससी/एसटी एक्ट में अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 18,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु0अ0सं0-514/2023 धारा-376,504,506 भा0द0सं0 व 04 पाक्सो एक्ट एवं धारा 3(2)5,3(2)5a,3(1)द/ध एससी/एसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर लालू यादव उर्फ लक्ष्मीनारायन पुत्र बिन्द्रावन निवासी ग्राम गुरदहा, थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुये 20 वर्ष का कठोर कारावास व ₹18,000/- के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी  
एडीजीसी रुद्र प्रताप  
सिंह



विवेचक-  
सीओ श्रीयश  
त्रिपाठी



पैरोकार  
थाना- मौदहा  
का0 प्रदीप भार्गव